



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175200

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7912

सन् 2026

साबिर हुसैन

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : देवाशीष मित्रा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : जी.ए., विजय शंकर त्रिपाठी, विनोद शंकर त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 95 सन् 2026 के तहत, धारा 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- सी.बी. गंज, ज़िला- बरेली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक सह-अभियुक्त इनायत हुसैन के पिता हैं, जिसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रकरण में झूठा फंसाया गया था। सह-अभियुक्त को किशोर घोषित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था, जिसके समर्थन में एक स्थानांतरण प्रमाण-पत्र(संक्षेप में “टी.सी.”) पेश किया गया था, जिसमें सह-अभियुक्त की जन्म तिथि 8.9.2009 दर्शाई गई थी। आरोप यह है कि असल में, किशोर न्याय अधिनियम का फायदा उठाने के लिए सह-अभियुक्त की उम्र 18 साल से कम दिखाने की कोशिश की गई थी, जबकि उसकी असली जन्म तिथि 23.2.2005 है, जो सह-अभियुक्त के 8वीं कक्षा के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में लिखी है, इस प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल 9वीं कक्षा में दाखिला लेने के लिए किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि किशोर होने की प्रार्थना पत्र मंजूर कर ली गई थी। सूचनाकर्ता द्वारा इसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। मामले को वापस भेज दिया गया और अंततः किशोर न्याय बोर्ड, बरेली द्वारा पारित दिनांक 22.1.2026 के आदेश के माध्यम से सह-अभियुक्त को पुनः किशोर घोषित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि स्कॉलर्स रजिस्टर में सह-अभियुक्त की जन्म तिथि अभी भी 8.9.2009 ही लिखी है। आवेदक के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण के अलावा कोई और आपराधिक प्रकरण नहीं है, यह प्रकरण आवेदक के बेटे के खिलाफ दर्ज किया गया था। हालाँकि, विवेचना के दौरान पुलिस ने आवेदक को आरोपमुक्त कर दिया था।

4. दूसरी ओर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक ने कक्षा 8वीं की एक टी.सी. प्राप्त की थी, जिस पर सह-अभियुक्त कीर्ति शिरोमणि के हस्ताक्षर थे, जिसमें जन्मतिथि 23.2.2005 अंकित की गई है। यह बात किशोर न्याय बोर्ड से छिपाई गई और आवेदक ने सह-अभियुक्त के पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया। इस बात का पता चलने पर, सही जन्म तिथि 23.2.2005 वाला सही टी.सी. अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्रकरण को वापस भेज दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 22.1.2026 के आदेश को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी गई है और कार्यवाही चल रही है, जिसमें सूचनाकर्ता को अपने पक्ष में अंतिम फैसले की उम्मीद है। हालाँकि, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी सूचनाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों का समर्थन किया है।



6. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

7. *प्रथम दृष्टया*, अभिलेख पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि स्कॉलर्स रजिस्टर में सह-अभियुक्त की जन्म तिथि 8.9.2009 दर्ज है। जिस संस्थान से विवादित टी.सी. लेने की बात कही जा रही है, वहां की प्रिंसिपल नीलम गंगवार ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में अभिलेखों के अवलोकन के बाद बताया कि सह अभियुक्त को उनके संस्थान में दिनांक 1.4.2013 को दाखिला दिया गया था और जन्म तिथि 8.9.2009 दर्ज की गई थी। सह अभियुक्त ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की और स्कॉलर्स रजिस्टर में उससे संबंधित एंट्री सीरियल संख्या 1899 के तहत की गई हैं। सह अभियुक्त कीर्ति शिरोमणि ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह भी कहा है कि उसने आवेदक के दबाव में आकर दूसरी टी.सी. जारी की थी, जिसमें सह अभियुक्त की जन्म तिथि 23.2.2005 दिखाई गई थी, और चूंकि वह अपने बेटे को खोने के कारण मानसिक परेशानी में थी, इसलिए उसने आवेदक की बात मान ली। उसने फिर से दोहराया है कि स्कूल में रखे अभिलेख के अनुसार सह-अभियुक्त की जन्म तिथि 8.9.2009 है। *प्रथम दृष्टया*, इस न्यायालय की राय है कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष हुई कार्यवाही में कोई धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं की गई थी। आवेदक के खिलाफ विवेचना अभी भी चल रही है। सह-अभियुक्त कीर्ति शिरोमणि को इस न्यायालय ने **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 5826 सन् 2026** के तहत अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

8. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. यदि आवेदक - **साबिर हुसैन** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
 - ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
 - iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 अगस्त, 2026

सचिन